कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

संकल्प से सिद्धि

न्यू इंडिया मूवमेंट (2017–2022)

"भारत छोड़ो आंदोलन हमारे इतिहास में एक मील का पत्थर है। महात्मा गाँधी के 'करो या मरो' के आह्वान से प्रेरित हो कर हर हिन्दुस्तानी ने भारत माँ को आजादी दिलाने का संकल्प लिया था। आज, भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगाँठ पर हम उस जन-आंदोलन में शामिल हर सेनानी को नमन करते हैं। आइए, हम सब एक संकल्प लें और कंधे से कंधा मिला कर नए भारत का निर्माण करें, जिस पर हमारे अमर स्वतंत्रता सेनानियों को गर्व हो।"

—नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने हेतु सात सूत्र

भारत जैसे विशाल और आर्थिक विषमताओं वाले देश में दूर–दराज के दुर्गम इलाकों तक और समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक अनाज की भौतिक और आर्थिक पहुँच सुनिश्चित करना एक कठिन चुनौती साबित होती रही है, परन्तु वर्ष 2015, 2016, 2017 के दौरान सरकार की अनुकूल नीतियों, कारगर योजनाओं और प्रभावी क्रियान्वयन ने इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया। वर्तमान प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में पहली बार किसानों की आमदनी को दोगुना करने का एक नीतिगत कार्य शुरू हुआ। इसके लिये राष्ट्रीय–स्तर की योजनाऐं लागू की गई हैं, जिसके अंतर्गत किसानों को कृषि तकनीकें अपनाने के लिये जागरूक एवं सक्षम बनाते हुए उनकी आय सृजन के नए आयाम शुरू किये जा रहे है। उल्लेखनीय है कि सिंचाई के पानी की कुशलता बढ़ाने के लिये टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई जैसी सूक्ष्म और कुशल तकनीकें विकसित की गई हैं, जिनका किसानों के खेतों तक प्रसार किया जा रहा है। इस कार्य में तेजी लाने के लिये प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसा राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया जा रहा है जिसका ध्येय 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' है। भूमि की उर्वरता को सतत बनाए रखने के लिये 'स्वस्थ धरा, खेत हरा' जैसे कार्यक्रम शुरू किये गये हैं, जिसके अंतर्गत सभी किसानों को 'सॉयल हेल्थ कार्ड' जारी किये जा रहे हैं। वर्तमान सरकार की पहलों से फसल बीमा योजना की निहित कमियों को समाप्त करते हुए एक नई योजना–"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'' पूरे देश में शुरू की गई है। कृषि के जोखिम को कम करने के लिए कृषि क्षेत्र में यह सबसे बड़ा निवेश है।

हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में **"सदाबहार क्रांति"** पर जोर दिया ताकि कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सके। इसी के तहत स्वादेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए पहली बार "राष्ट्रीय गोकुल मिशन'' शुरू किया गया है। हाल ही में 'खाद्य सुरक्षा' के बाद अब 'पोषण सुरक्षा' की अवधारणा को अपनाए जाने पर जोर देते हुए, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप पर विशेष बल दिया जा रहा है। साथ ही किसानों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए

आनलाईन सुविधा से जोडते हुए देश भर की 585 मंडियों को ई–नाम पोर्टल से जोड़ा जा रहा है ताकि वे अपने उत्पाद को देश में कहीं भी एक बटन दबाकर अच्छे दामों पर बेच सकें और देश की अन्य मंडियों में उत्पाद के मूल्यों की जानकारी हासिल कर सकें। किसानों के मूल्य निर्धारित करने की शक्तियों के बारे में भी सरकार प्रतिबद्ध है जिस के लिए कैशलैस ट्रांजैक्शन पर बल दिया गया है।

आज भारत डिजिटल क्रांति और मोबाईल क्रांति के दौर से गुजर रहा है व मोबाईल की पहुंच गांव–गांव तक है। सूचना प्रोद्योगिकी के इस स्त्रोत को कृषि से जोड़ने की शुरुआत आज की जा चुकी है। सरकार और किसान के बीच दो तरफा संवाद कायम करने में मोबाईल और इंटरनेट की अहम भूमिका के मद्देनजर किसानों को सही समय पर सूचना देने के लिए सरकार की कई वेबसाईट, पोर्टल, फोन सेवाओं के साथ कृषि एसएमएस की व्यवस्था तथा कई तरह के एप शुरू किए गए हैं। किसान सुविधा एप पर किसानों को घर बैठे कृषि संबंधित सूचनाएं जैसे मौसम, बाजार भाव, फसलों की बीमारियों व कीट की पहचान व उपचार के साथ ही कृषि संबंधित विशेषज्ञ से सलाह की सुविधा मुहैया करायी जा रही है। मौसमिक आपदाओं व बदलते मौसम परिवेश से प्रभावित किसानों की फसल बर्बादी के आंकलन को लेकर उहापोह की स्थिति के चलते भुवन जैसी क्रान्तिकारी ऐप विकसित की गई है जिसके जरिए ओलावृष्टि से हुई फसल बर्बादी का अनुमान लगाया जा सकता है। किसान अपने घर बैठे किसान कॉल सेंटर में 18001801551 पर निःशुल्क फोन करके अपनी कृषि समस्या का समाधान पा सकते हैं।

इन सब प्रयासों के चलते किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए सरकार योजनाबद्ध रूप से **7 सूत्री कार्ययोजना** पर काम कर रही है। आज आवश्यकता है, इन प्रयासों को संकल्प से सिद्धि में बदलने की।

पहला सूत्र - पर्याप्त संसाधन के साथ सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करना

भारत के पास 142 मिलियन हैक्टेरयर कृषि भूमि है जिसमें से केवल 48 प्रतिशत संस्थागत सिंचाई के तहत है। 'हर खेत को पानी' के उद्देश्य के साथ 1 जुलाई, 2015 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरूआत की गई ताकि सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला, जल संसाधनों, नेटवर्क वितरण और फार्म लेवल अनुप्रयोगों में सर्वांगीण समाधान किया जा सके।

पीएमकेएसवाई में न केवल सुनिश्चित सिंचाई हेतु संसाधन तैयार करने पर जोर होता है बल्कि 'जल संचय' और 'जल सिंचन' के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर वर्षा जल दोहन करके संरक्षित सिंचाई भी सृजित की जाती है। सूक्ष्म सिंचाई से 'प्रति बूंद, अधिक फसल' सुनिश्चित करने के लिए राज्य सहायता के माध्यम से प्रोत्सोहन दिया जाता है। पीएमकेएसवाई के तहत तीन घटक हैं :

i) कृषि उत्पादन में सिंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सुनिश्चित सिंचाई के तहत अतिरिक्त क्षेत्र को लाने की आवश्यकता पर बल – वर्ष 2016–17 के दौरान नाबार्ड के तहत 20,000 करोड़ रूपये की आरम्भिक राशि से तैयार किए गए दीर्घकालीन सिंचाई कोष को वर्ष 2017–18 में बढ़ा कर 40,000 करोड़ रूपये करना। दीर्घकालीन सिंचाई कोष के तहत 99 सिंचाई परियोजनाओं (जो लम्बी अवधि से अपूर्ण थी) में तेजी लाना, ताकि सिंचाई के तहत 8.6 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र आ जाए, आदि शामिल है ।

ii) पीएमकेएसवाई (पनधारा): जल संसाधनों को रिचार्ज करने का कार्य भू–संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसमें रिज क्षेत्र उपचार, ड्रेनेजलाइन उपचार, मृदा एवं नमी संरक्षण, जल संचयन संरचना आजीविका सहायता कार्यकलाप और अन्य पनधारा निर्माण कार्य शामिल है। इसका उद्देश्य जल संसाधन विशेषकर, भू–जल को रिचार्ज करना और बनाए रखना है।

iii) सूक्ष्म सिंचाई (प्रति बूंद–अधिक फसल): इसमें सूक्ष्म स्तर भंडारण संरचना, जल लाने ले जाने और उसका कुशल अनुप्रयोग, सुव्यवस्थित सिंचाई पद्धति (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर), विस्तार कार्यकलाप, समन्वय और प्रबंधन पर ध्यान दिया जाता है। इस घटक के लिए जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ताकि जल उपयोग में दक्षता आए, जल की बचत हो और अधिक फसल उत्पादन हो सके।

आइये मिल कर संकल्प ले और कहे –

'पीएमकेएसवाई की यह योजना है समृधि का धाम, खेत की माटी खेत में, गाँव का पानी गाँव'

प्रति बूंद–अधिक फसल, है अब हमारा नारा, सुव्यवस्थित सिंचाई से खेत बनाये न्यारा "

दूसरा सूत्र – गुणवत्तापूर्ण बीज, रोपण सामग्री, जैविक खेती एवं प्रत्येक खेत को मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय खाद्य तेल एवं आयल पाम मिशन के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण बीजों के लिए पर्याप्त संसाधन की व्यवस्था एक चुनौती थी जिसे हमारी सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया है।

उत्पादन के मामले में मोदी सरकार ने गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन एवं बागवानी फसलों के उत्पादन बढ़ाने को प्राथमिकता दी है। दलहन की खेती अधिकांश रूप से वर्षा–सिंचित स्थिंतियों में सीमांत भूमि पर छोटे व सीमांत किसानों द्वारा की जाती है। इसलिए, सरकार देश को दलहन के उत्पादन में आत्म–निर्भर बनाने के साथ साथ छोटे व सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करना चाहती है। पिछले दो वर्षों में दलहन के एमएसपी में वृद्धि हुई है और सरकार ने खरीफ, 2017 के लिए दलहन के मामलें में बोनस की भी घोषणा की है। दलहन के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के अंतर्गत बजट की 60 प्रतिशत से अधिक राशि आवंटित की गई है। विभाग ने (वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक) 24 मिलियन टन दलहन का वार्षिक उत्पानदन करने के उद्देश्य से पांच वर्षीय रोडमैप (2016–17 से 2020–21) तैयार किया है। इस योजना की शुरूआत के प्रथम वर्ष के लिए 20 मिलियन दलहन के आरंभिक लक्ष्य। की तुलना में 22 मिलियन टन दलहन उत्पामदन अनुमानित है।

मोदी सरकार ने ऑयल पाम के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी हेतु पूर्व की 25 हैक्टयर की लैंड सिलिंग को हटा दिया है एवं प्लोटिंग मैटिरियल, मैंनटेनैंस, इंटर क्रौपिंग एवं बौरवेल की सहायता राशि को भी बढ़ाया है।

बागवानी क्षेत्र ने भी अधिक उत्पादकता के जरिए आय बढ़ाने में अपनी विश्वसनीयता स्थाापित की है। समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) ने क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत 2014–15 से 2016–17 (प्रथम अनुमान) के दौरान 3,79,146 हैक्टेयर नए बागान लगाए गए और इसी अवधि के दौरान 70,976 हैक्टेयर जराग्रस्त फलोद्यानों

का पुनर्रूद्धार किया गया है। वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान 87,110 हैक्टेयर क्षेत्रफल पर संरक्षित खेती की गई और इसी अवधि के दौरान 23,321 हैक्टेयर क्षेत्रफल पर जैविक खेती की गई।

प्रत्येक खेत के लिए मृदा स्वास्थ कार्ड सुनिश्चित करने के लिए मृदा स्वास्थ कार्ड योजना शुरू की गई। इस योजना में देश के 12 करोड़ कृषि जोतों के लिए मृदा स्वास्थ कार्ड, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में किसानों को दिए जाने का ध्येय है। इस कार्ड का उद्देश्य मृदा में पोषक तत्व की स्थिति को बताना है। जिससे कि किसान, कार्ड में दी गई सलाह के अनुसार उचित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करें। इससे खेती की लागत में कमी आएगी एवं सतत उत्पादन में किसान को सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने यूरिया को नीम कोटेड करने का भी निर्णय लिया है। इस निर्णय के फलस्वरूप यूरिया का प्रयोग 10 प्रतिशत तक कम हुआ है जिससे खेती की लागत में भी कमी आ रही है।

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने पहली बार परम्परागत कृषि विकास योजना को आरम्भ किया। मोदी सरकार ने 3 वर्षों के दौरान 2 लाख हेक्टेयर तक प्रमाणित क्षेत्र को कवर किया जा सके। फलस्वरूप, वर्ष 2011–14 के दौरान जैविक खेती के तहत संचयी क्षेत्र 7.23 लाख हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2014–17 के दौरान 176 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 20 लाख हेक्टेयर हो गया है।

आईये इस दिशा में मिल कर प्रयास करें और कहें –

"उत्पादन में हो वृद्धि एवं माटी रहे स्वस्थ, है यही अब संकल्प हमारा

कम लागत और अधिक आमदनी, है यही अब परिकल्प हमारा"

तीसरा सूत्र: फसलोपरांत होने वाली हानि को रोकने के लिए वेयर हाउसिंग और कोल्ड चौन का सुदृढ़ीकरण

एक अध्ययन के अनुसार देश में प्रति वर्ष 92,651 करोड़ आर्थिक मूल्य के कृषि उत्पााद की हानि फसलोपरांत आधारभूत सरंचना की कमी के कारण हो जाती है। मोदी सरकार ने समेकित बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत 30 से 35 प्रतिशत बजट कोल्डम चेन सरंचना के विकास के लिए निवेशित कर रहा है।

किसानों द्वारा मजबूरी में की जाने वाली बिक्री को रोकने के लिए मोदी सरकार का मुख्यो ध्यून किसानों को वेयरहाउस के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना रहा है ताकि फसल पश्चोात ऋण तक उनकी पहुंच बनाई जा सके। किसानों को भाण्डागार रसीद के बदले उनके उत्पोद को भाण्डांगार में रखने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज छूट योजना के लाभ को ऐसे छोटे एवं सीमान्तक किसानों तक फसलोपरान्त छः माह की अवधि हेतु विस्तापरित कर दिया गया है एवं यह किसानों के उत्पाद भाण्डारगार में फसल रखने के लिए पराक्रम्य (निगोशियेबल) भाण्डागार रसीद के बदले ऋण की दर पर ही उपलब्ध है। सरकार रहन (कोलेट्रेल) ऋण की पद्धति को बढ़ाने के लिए ई–नेगोशियबल वेयर हाउस रेसिप्ट का प्रावधान करने पर विचार कर रही है ताकि किसानों के लिए इस प्रक्रिया को अधिक आसान बनाया जा सके।

आईये सरकार की इस परिकल्पना को यथार्थ करें और संकल्प लेकर कहे –

" अब न करेंगे मजबूरन बिक्री, वेयर हॉउस में रखेंगे फसल व धान

फसलोप्रान्त होगी ऋण तक पहुँच , सरकार ने लिए जो अब हाथ थाम"

चौथा सूत्रः खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य संवर्धनकी योजना पर कार्यः

सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण एवं फूड रिटेल के क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई करने का निर्णय लिया है। खाद्य प्रसंस्करण ईकाइयां प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत प्रीफांन्शियल दर पर ऋण प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही हमने खाद्य सुरक्षा मानकों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया गया है और अब जीएसटी लागू होने के पश्चात् इस क्षेत्र में और अधिक वृद्धि होने की आशा है।

अभी हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा संपदा मिशन की शुरूआत की गई है। इसके तहत एग्रो प्रोसैसिंग क्लस्टरों के फार्वड एवं बैकवर्ड लिंकिज पर कार्य करके फूड प्रौसेसिंग क्षमताओं का विकास किया जाएगा। इस योजना से 20 लाख किसान लाभान्वित होंगे तथा 5.3 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

आओ, सब मिल कर सरकार के इस प्रयास से जुड़े और प्रतिज्ञा करें कि –

"खाद्य प्रसंस्करण और फूड रिटेल का अब चला है नया दौर

फूड प्रोसैसिंग क्लस्टर से हो क्षमता विकास व पाए फायदा और"

पांचवा सूत्रः ई–राष्ट्रीय कृषि बाजार से कृषि बाजार क्षेत्र की विकृतियों पर अंकुश

मोदी सरकार ने 14 अप्रैल, 2016 को ई–राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना को शुरू किया जिसमे अब तक 455 मंडियों को जोड़ा जा चूका है एवं 116 मंडियों में ऑनलाइन से कृषि बाजार ट्रेंडिंग प्रारम्भ हो गया है। सरकार का उद्देश्य् विखंडित एपीएमसी को समेकित करके कृषि जिंसों के लिए समूचे राष्ट्र के लिए एक मंडी तैयार करना है। ई–राष्ट्रीय कृषि मंडी से सूचना की विषमता एवं अंतरण लागत में कमी आएगी एवं किसान को अपनी उपज का लाभप्रद मूल्य प्राप्त करने हेतु अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी मार्ग प्रशस्त होगा।

ई–राष्ट्रीय कृषि बाजार के अतिरिक्त सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में बाजार सुधार की दिशा में एक मॉडल एपीएमसी एक्ट (जिसमें निजी क्षेत्र में मंडी स्थापना, प्रत्यक्ष विपणन मंडी यार्ड के बाहर बनाकर समस्ती राज्य सरकारों को इस एक्ट को अपनाने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त संविदा कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक मॉडल एक्ट बनाने का कार्य भी कर रही है।

सरकार के इस नए और कारगर प्रयास को अगले पांच सालो में इतना आगे बढ़ाएं कि कृषक कह उठे–

"कृषि बाजार की विकृतियां हुई कम, ई– नाम लाई सौगात

लाभप्रद मूल्य मिले उपज के, आओ जुड़ें सरकार के इस प्रयास के साथ"

छठा सूत्रः कृषि क्षेत्र में जोखिम कम करने एवं कृषि क्षेत्र के विकास के लिए संस्थागत ऋण की उपलब्धता पर कार्य

कृषि में जोखिम को कम करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुर्नसंरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्यूस बीसीआईएस) के माध्यम से प्रभावी उपाय कर रही है ताकि किसान प्राकृतिक आपदाओं में भी सुरक्षित महसूस करें। सरकार ने तत्कालीन फसल बीमा योजनाओं की व्यापक समीक्षा करने के बाद खरीफ, वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की शुरूआत की है।

इस योजना को किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाने के लिए इसमें नए प्रावधानों को शामिल किया गया है। पीएमएफबीवाई एवं पुर्नसंरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्यूय बीसीआईएस) के अंतर्गत खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों, पुर्नसंरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्यूज बीसीआईएस) के लिए 5 प्रतिशत अत्यधिक कम प्रीमियम दरों पर गैर–निवार्य प्राकृतिक जोखिमों के लिए बुवाई पूर्व से फसलोपरान्ती हानियों तक व्यापक फसल बीमा प्रदान करती है। शेष बीमांकिक/बोली प्रीमियम केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 50:50 आधार पर वहन किया जाता है। हानियों का वास्तविक आंकलन करने के लिए बीमा ईकाई क्षेत्र को प्रमुख फसलों के लिए तहसील/जिला स्तर से घटाकर ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर तथा ओलावृष्टि, भूस्खलन व आप्लावन (इनअंडेशन) के स्थानीकृत जोखिम के लिए व्यक्तिगत फार्म स्तर कर दिया गया है। हालांकि मौसम के अंत में उपज हानि के आंकलन के आधार पर दावों का निपटान किया जाता है, फसल के दौरान प्रतिकूल मौसम की स्थितियों में बीमित किसानों को अग्रिम तत्काल राहत भी प्रदान की जाती है।

तत्कालीन योजनाओं के तहत खरीफ वर्ष 2015 में 309 लाख किसानों की कवरेज की तुलना में नई बेहतर विशेषताओं एवं सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण प्रथम वर्ष अर्थात् खरीफ, वर्ष 2016 मौसम के अंतर्गत 390 लाख किसानों को कवर किया गया। इसी दौरान खरीफ, 2015 में गैर–ऋणी किसान कवरेज 15 लाख किसानों से बढ़कर खरीफ वर्ष 2016 में 105 लाख हो गई। इसके अतिरिक्त खरीफ, वर्ष 2015 की तुलना में खरीफ, वर्ष 2016 में बीमित राशि में भी सुधार हुआ है, खरीफ वर्ष 2015 में प्रति हैक्टेयर बीमित राशि 20,461 रूपए थी जोकि खरीफ वर्ष 2016 में बढ़कर 36,662 रूपए हो गयी है।

सरकार ने जल्द से जल्द योजना के तहत बीमित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। दिशा–निर्देशों में प्रत्येक कार्यकलाप के पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित है। उपज आंकड़ों को प्रस्तुत करने में तेजी लाने के लिए विभाग सीसीई एग्री ऐप लाया है और राज्यों को फसल उपज डाटा सीसीई एग्रीऐप/स्मोर्ट फोन के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा नई रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग किया जा रहा है ताकि दावा निपटान करने के लिए अधिक सटीक उपज आंकलन किया जा सके।

इस स्कीम की कवरेज को वर्ष 2016–17 में 30 प्रतिशत फसलित क्षेत्र से बढ़ाकर वर्ष 2017–18 में 40 प्रतिशत और वर्ष 2018–19 में 50 करने का लक्ष्य है। वर्ष 2017–18 में कवरेज को बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने के लिए कार्यनीति तैयार की गई है।

साहूकारों से किसानों को बचाने के लिए ऋण प्रवाह को भी तेज किया गया है। वर्ष 2013–14 में जहां यह 7 लाख करोड़ था, इसे 2017–18 में बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया गया है।

इसके अतिरिक्त4, सरकार तीन लाख रूपए तक लघु आवधिक फसल ऋणों पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त, ब्याज छूट प्रदान करती है। वर्तमान में किसानों के लिए 7 प्रतिशत वर्ष की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है जो तुरंत भुगतान करने पर घटकर 4 प्रतिशत हो जाता है। इसके अतिरिक्त, ब्याज छूट स्कीम वर्ष 2015–16 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा होने पर किसानों को राहत प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा पुनर्संरचित राशि पर प्रथम वर्ष के लिए 2 प्रतिशत की ब्याज छूट जारी रहेगी। ब्याज ऋण सहायता वर्ष 2013–14 में 6 हजार करोड़ रूपए था, जो वर्ष 2017–18 में 20,339 करोड़ रूपए है।

चूंकि वित्तीय समावेशन सरकार के विभिन्न– पहल क्षेत्रों में से एक है, इस हेतु वर्ष 2017–18 बजट में प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय समावेशन के समग्र उद्देश्य को पूरा करने के अलावा, पैक्स का कम्प्यटरीकरण ब्याज छूट योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, विभिन्न सेवाओं के लिए डीबीटी की सफलता और उर्वरकों, बीजों आदि जैसे आदानों की आपूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे ऋण वितरण में तेजी, स्कीमों की दोहराव की जांच, लेन–देन

की लागत में कमी एवं ऋण प्रदान करने में तेजी भी आएगी।

संयुक्त देयता समूह (जे एल जी) एक औपचारिक समूह है जिसके अन्तर्गत व्यक्तिगत आधार पर या परस्पर गारंटी पर समूह तंत्र के आधार पर बैंक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से 4–10 लोग परस्पर समूह बनाते हैं। भूमिहीन एवं छोटे किसानों के संयुक्त देयता समूहों को वित्त पोषण करने के लिए यह स्कीम नाबार्ड द्वारा वर्ष 2005–06 में आरंभ की गई थी। यह स्कीम वर्ष 2009 से आगे गैर कृषि क्षेत्र में भी चलाई गई है। इस प्रकार जेएलजी में किसान एवं गैर–किसान समूह शामिल हुए। भारत सरकार ने वर्ष 2014–15 के दौरान भूमिहीन किसानों के निमित्त एक स्कीम आरंभ की। इसका लक्ष्य नाबार्ड के माध्याम से 5 लाख भूमिहीन किसानों संयुक्त कृषि समूह का वित्त पोषण करना था। दिनांक 30 सितंबर,2016 तक जेएलजी की कुल संख्या 18.21 लाख तथा दी गई कुल ऋण राशि (संचयी) 18005.79 करोड़ रु. थी।

आइए मिलकर सरकार के इन प्रयासों में अपना योगदान दें, क्योंकि–

"बुवाई पूर्व से फसलोपरान्त् नुकसानों पर, अब जाकर कहीं मिली है राहत

फसल बीमा के लाभ लेकर आई, पीएमएफबीवाई है इक सौगात

ग्राम स्तर व फार्म स्तर पर, अब हो हानि का सही आंकलन

साथ ही सीसीई एग्री ऐप से, सुगम हो रहा अब दावा निपटान"

सातवा सूत्रः कृषि के अनुसंगी कार्यकलाप जैसे डेयरी विकास, पोल्ट्री, मधुमक्खी1, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी एवं एकीकृत कृषि प्रणाली।

सरकार कृषि के अतिरिक्त किसान के अन्य आय के साधनों जैसे पशुपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खीपालन, मछलीपालन, कृषि वाणिकी एवं डेयरी के विकास की विभिन्न8 योजनाओं पर भी कार्य कर रही है। सरकार का मानना है कि किसान की आय में वृद्धि के लिए इन अतिरिक्त आय स्रोतों के विकास किए जाने की आवश्यकता है। इन प्रयासों के कारणगत वर्षों में डेयरी, पोल्ट्री, मधु मक्खी, मत्स्य पालन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज हुई है। इस हेतु सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय वोबाईन उत्पादकता मिशन, डेयरी विकास,

नीली क्रांति, कृषि वानिकी, मधुमक्खी, पालन, मुर्गी पालन, सौर सेल आदि योजनाएं प्रारंभ की हैं:–

राष्ट्रीय गोकुल मिशन में पहली बार वैज्ञानिक एवं समेकित ढंग से देशी बोवाइन नस्लों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु प्रारंभ की गई है। इसके माध्यम से 27 राज्यों में 35 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है। जिसके तहत 31 उच्च नस्ल के मादा गौवंश फार्म (Mother Bull Farm) (नस्लीय सुधार हेतु) गायों के दुग्ध उत्पाददकता की रिकॉर्डिंग, 30,000 कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों का प्रशिक्षण जिससे 7.3 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान इस वर्ष किए गए। साथ ही गौवंश के विशेष संरक्षण हेतु 14 गोकुल ग्राम (गौपशु विकास केन्द्रों) की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर स्वादेशी नस्लों के विशेष संरक्षण हेतु 2 कामधेनु ब्रीडिंग सेन्टर आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय बोवाईन उत्पादकता मिशन के तहत देश में पहली बार 8.8 करोड़ दुधारु पशुओं को नकुल स्वास्थ पत्र एवं पशु यूआईडी जारी किए जा रहे हैं। जिससे उनके स्वास्थ्य एवं उत्पादकता की पूर्ण निगरानी एवं सामयिक उपचार हो रहा है। मादा बोवाईन की संख्या में वृद्धि के उद्देश्य से उन्नत प्रजनन तकनीक यथा लिंग सोर्टेड, बोवाईन वीर्य तकनीक, 50 भ्रुण स्थानांतरण केन्द्र और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आई.वी.एफ.) केन्द्र खोले जा रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय जेनोमिक केन्द् की स्थापना की जा रही है जिसमें जिनोमिक तकनीक के माध्यम से कुछ ही वर्षों में देशी नस्लों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। इसी क्रम में नवम्बर, 2016 में देश में पहली बार उच्च नस्ल/उत्पादक पशुधन को बेचने व खरीदने के लिए एवं उच्च नस्ल1 की वीर्य खुराक की उपलब्धता हेतु देश में पहली बार ई–पशुधन हाट पोर्टल प्रारंभ किया गया है। 12 जून, 2017 तक इस पोर्टल पर 15,831 जीवित पशु, 4.71 करोड़ वीर्य खुराकों तथा 373 भ्रुणों के बारे में सूचना अपलोड की गई है। अब तक पोर्टल पर 3 करोड़ वीर्य खुराकों एवं 100 दुधारु पशुओं की बिक्री की जा चुकी है।

डेयरी उद्यमिता विकास स्कीम (डीईडीएस) का उद्देश्य डेयरी के क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है व नाबार्ड के माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय डेयरी योजना को एन.डी.डी.बी. एवं राज्यों द्वारा हाई जैनेटिक मेरिट (एचजीएम) पशु व बफेलो बुल का उत्पादन, चारा विकास कार्यक्रम आदि के लिए कार्यान्वित किया जाता है।

डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचनाओं की पुरानी योजनाओं के पुनरुद्धार के लिए 8000 करोड़ की राशि से डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि स्थापित की गयी है। जो अगले तीन वर्षों में व्यय की जाएगी।

नीली क्रांति समेकित मात्यिसंस की विकास व प्रबंधन की व्यवस्थात वाली नई पहल है जिसमें अंतर्देशीय मात्स्यकी, जल कृषि, समुद्री मछली, मैरीकल्चार व राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा किए गए कार्यकलाप शामिल किये गये हैं। इसी क्रम में सरकार द्वारा पारंपरिक समुद्री मछुवारों के कल्याण हेतु दि. 09 मार्च, 2017 को'नीली क्रांति योजना' के अंतर्गत एक नया उप–घटक "गहरे–समुद्र में मत्स्यन के लिये सहायता" भी शामिल किया है, जिसके अंतर्गत पारंपरिक मछुवारों को केंद्र–सरकार द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं की लागत मूल्य का 50ः या रु.40 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2017 को रामेश्वरम में तमिलनाडु के पाँच मछुवारों को योजनान्तर्गत जारी होने वाली राशि का 'स्वीकृति आदेश' प्रदान कर इस योजना का शुभारम्भ किया गया है।

हर खेत के मेड़ पर पेड़, परती भूमि पर पेड़ तथा inter cropping में पेड़ लगाने के उद्देश्य से पहली बार **"कृषि वानिकी उप–मिशन"** क्रियान्वित किया गया हैं। इस योजना के अन्तर्गत "मेड़ पर पेड़" अभियान को गति मिलेगी। इसके अलावा खेत में फसलों / फसल तंत्र के साथ पट्टी, अंतरायिक रूप में पेड़ एवं ब्लॉक प्लांटेशन लगाए जाने का प्रावधान हैं। खेती योग्य बंजर भूमि में भी पेड़ लगाए जा सकते हैं।

मधुमक्खीपालन विकास के द्वारा भारी संख्या में किसानों / मधुमक्खीपालकों को वैज्ञानिक मधुमक्खीपालन में प्रशिक्षित किया जा रहा है व मधुमक्खीपालकों / मधुमक्खीपालन और शहद समितियों / फर्मों / कंपनियों आदि का मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ पंजीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2011–14 में शहद उत्पादन 2,18,950 मि.टन था जो वर्ष 2014–17 के दौरान 2,63,930 मि.टन हो गया जो कि 20.54 प्रतिशत की वृद्धि है। प्रत्येक राज्य

में एक जिले के विकास के बारे में, एक रोल मॉडल (समेकित मधुमक्खीपालन विकास केंद्र–IBDC), की स्थापना की जा रही है।

मुर्गीपालन – रूरल बैकवर्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट कार्यक्रम में गरीब परिवारों के लाभार्थियों को पूरक आय और पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। चार सप्ताह के 45 चूजें जो घर के पिछवाड़े में पालन करने के लिए उपयुक्त हो, को वितरित किया जाता है। प्रत्येक लाभार्थी को पिंजरे, रात्रि आश्रय, फीडर आदि के लिए सहायता दी जा रही है।

ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप स्माल सोलर पावर कार्यक्रम के माध्यम से सरकार किसानों की खाली पड़ी बंजर जमीन व खेतों के बीच उपयोग न होने वाली भूमि पर ग्रिड कनेक्टेड छोटे सोलर परियोजनाएं लगा सकते हैं। इस परियोजना के माध्यम से सोलर सेलों द्वारा उत्पादित विद्युत को सीधे ग्रिड में प्रवाहित किया जाता है। इस उत्पादित बिजली का मूल्य किसानों को अतिरिक्त आय का स्त्रोत प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त किसानों को सोलर पावर पंप भी सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

समेकित कृषि विकास की इस पहल में आओ, हम 'संकल्प से सिद्धि के लिए आगे बढे और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कार्यक्रमों के उचित क्रियान्वखयन, पर्याप्तक संसाधन एवं सुशासन से साल 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्यं को प्राप्त करने की दिशा में कदम से कदम मिला कर आगे बढ़े।

'कृषि के सहायक क्रिया कलापों से, पाए आय के नए विकल्प

जय हिंद

संकल्प से सिद्धि
न्यू इंडिया मूवमेंट (2017–2022)

नए भारत का संकल्प

हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, एक नए भारत का।
1942 में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक संकल्प लिया था,
''**भारत छोड़ो**'' का और 1947 में वह महान संकल्प सिद्ध हुआ,
भारत स्वतंत्र हुआ।

हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, 2022 तक नए भारत का निर्माण का।

हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, स्वच्छ भारत का।
हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, गरीबी मुक्त भारत का।
हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का।
हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, आतंकवाद मुक्त भारत का।
हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, सम्प्रदाय मुक्त भारत का।
हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, जातिवाद मुक्त भारत का।

हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, 2022 तक कृषि आय दोगुना करने का।

हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, आय सुरक्षा के लिए फसलों के बीमा का।
हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, माटी की सेहत के लिए जैविक खेती अपनाने का तथा सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाने का।
हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, उच्च पैदावार के बीज एवं रोपण सामग्री अपनाने का।
हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाने का।
हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, कृषि उत्पादों के मूल्य वर्धन एवं सही सुरक्षित भंडारण का।

नए भारत के निर्माण के अपने इस संकल्प की सिद्धि के लिए हम सब मन और कर्म से जुट जाएंगे।